न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान बनवारी बनाम पेहपसिंह

मुकदमा संख्या / वर्ष   टी0आई0 86 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के0 आर0 शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 03, 04 की ओर से अधिवक्ता श्री घीसालाल कुम्हार हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम नांगल जैसा बोहरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 218 रकबा 0.3415 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अनाधिकृत कब्ज़ा कर निमार्ण करने, विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से ज़बरिया बेदखल करन कर कब्ज़ा कर निमार्ण करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने तथा प्लोटिंग कर बेचान करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील एवं समुचित अवसर उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि 120 वर्गगज भूमि पर मकानात् बने हुए है। अप्रार्थी संख्या 01 ने सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवा ली परन्तु हम अपने हिस्से पर काबिज है एवं उपयोग उपभोग कर रहे है। मिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी है। प्रार्थी, अप्रार्थी को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:00:28 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

	30/4/25	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम नांगल जैसा बोहरा, भू0अ0नि0 क्षैत्र झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 218 रकबा 0.3415 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा। निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। [signature] [stamp] जयपुर, शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:00:28 IST
Reason: SelfAttested